भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 618

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- केरल में उर्वरक की कमी

618. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उर्वरकों, विशेषकर यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट की गंभीर कमी की जानकारी है जो 2025-26 सीजन के दौरान कुट्टनाड और अलप्पुझा जिले के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान होने की संभावना है और यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने केरल की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिसमें भूस्खलन, बाढ़ और मानसून से होने वाले नुकसान शामिल है, का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2025-26 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संशोधनों का ब्यौरा क्या है तथा केरल के किसानों को एमएसपी भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं और नारियल किसानों के लिए संशोधित सहायता योजनाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं; और

(घ) बुआई के मौसम से पहले धान के बीज की कमी को दूर करने के लिए, किसानों की तरफ से उठाई गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं सहित क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुट्टनाड और अन्य क्षेत्रों सहित अलप्पुझा जिले से वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरक की कमी, विशेष रूप से यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की सूचना नहीं दी गई है क्योंकि उर्वरकों की आवश्यकता की योजना पहले ही तैयार कर ली गई थी और समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। इसलिए, उर्वरकों की कमी के कारण फसल हानि की भी सूचना नहीं दी गई है।

(ख): जुलाई 2024 के दौरान वायनाड और कोझिकोड जिलों के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाले भूस्खलन के संबंध में स्वतंत्र अध्ययन रिपोर्ट पर्यावरण समिति द्वारा केरल विधानसभा में प्रस्तुत की गई है, जिसमें विधान सभा के माननीय सदस्य शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा केरल में कृषि पर जलवायु परिवर्तन (दिनांक 01/04/2021 से 28/01/2026) के कारण सूचित फसल हानि का विवरण नीचे दिखाया गया है:

विवरण	प्रभावित किसानों की संख्या	फसल का नुकसान (रु)
भूस्खलन	1443	23967727
बाढ़	14641	148971006
भारी वर्षा	20791	138897792
चक्रवात	7963	75306142
तेज हवा	4594	43432133

(ग): भारत सरकार द्वारा यथा घोषित कृषि मौसम 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केरल सरकार द्वारा अपनाया गया है और राज्य के खरीद तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। केरल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के समन्वय से राज्य द्वारा नामित एजेंसी नामतः सप्लाइको के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में, धान की खरीद सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, साथ ही 630 रुपये प्रति क्विंटल के राज्य प्रोत्साहन बोनस के साथ, किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का कुल खरीद मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। हाल के मौसमों के दौरान कुछ मामलों में किसानों को धान खरीद भुगतान के संवितरण में देरी की सूचना मिली है, जो मौजूदा खरीद ढांचे के अंदर प्रक्रियात्मक और प्रचालन संबंधी बाधाओं से उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले मौसमें से धान रसीद पत्र (पीआरएस) ऋण तंत्र के तहत की गई देनदारियों के निपटान के लिए सुलह की आवश्यकता है, जिसका कुछ मामलों में भुगतान के समय पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, दिनांक 15.01.2026 तक देय संवितरण किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पूरे देश के लिए बाईस अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी तय करता है, न कि क्षेत्र विशिष्ट के लिए। पिछले दो वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(घ): केरल में वर्ष 2025-26 के दौरान 1.243 लाख क्विंटल की आवश्यकता के लिए 1.243 लाख क्विंटल प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण धान के बीज उपलब्ध हैं। इसलिए, केरल में धान के बीजों की कोई कमी नहीं बताई गई थी। किसानों को धान सहित गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व समय-समय पर आयोजित क्षेत्रीय बीज बैठकों के माध्यम से राज्यों और अन्य एजेंसियों के साथ बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करता है। केरल सरकार चावल विकास योजना के एक प्रमुख घटक के रूप में कार्यान्वित पंजीकृत बीज उत्पादक कार्यक्रम (आरएसजीपी) के माध्यम से राज्य भर के किसानों को धान के प्रमाणित बीजों की मुफ्त आपूर्ति करती है। बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में प्रावधान उपलब्ध हैं। उपर्युक्त विधानों ने राज्य सरकारों को गुणवत्ता की जांच करने और नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए बीज निरीक्षकों की नियुक्ति करने की शक्तियां प्रदान की हैं। यदि कोई बीज नमूना निम्न स्तर का पाया जाता है, तो डीलर लाइसेंस रद्द करना, स्टॉक जब्त करना, चेतावनी जारी करना, बिक्री रोकने का आदेश देना और अभियोजन आदि जैसी कार्रवाई की जाती है।

अनुबंध-I

न्यूनतम समर्थन मूल्य (विपणन मौसम-वार) (₹/क्विंटल)

क्रम संख्या	वस्तुएँ	केएमएस 2024-25	केएमएस 2025-26
	खरीफ फसलें		
1	धान (सामान्य)	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	2320	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	3371	3699
	ज्वार (मालदांडी)	3421	3749
3	बाजरा	2625	2775
4	रागी	4290	4886
5	मक्की	2225	2400
6	अरहर	7550	8000
7	मूंग	8682	8768
8	उड़द	7400	7800
9	कपास (मध्यम स्टेपल)	7121	7710
	कपास (लंबा स्टेपल)	7521	8110
10	मूंगफली	6783	7263
11	सूरजमुखी के बीज	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	4892	5328
13	तिल	9267	9846
14	नाइजरसीड	8717	9537
	रबी की फसलें	**आरएमएस 2025-26**	**आरएमएस 2026-27**
15	गेहूं	2425	2585
16	जौ	1980	2150
17	चना	5650	5875
18	मसूर	6700	7000
19	रेपसीड और सरसों	5950	6200
20	कुसुम	5940	6540
	वाणिज्यिक फसलें		
		2024-25	**2025-26**
21	पटसन	5335	5650
		2025	**2026**
22	कोपरा (मिलिंग)	11582	12027
	कोपरा (बॉल)	12100	12500

*****